

रिक0 में 0 एस. उन्तु./एम. थी. 560 साइसेन्स में 0 लक्ष् 0 भी 0-45 लाहसेन्स द्व पोस्ट एट कन्सेक्सस हंट

प्रारम्भ

# सरकारी गजर, उत्तर प्रहेश.

· उत्तर प्रदेशीय सरकार हारा प्रकाशित-

### असाधर्ग

## ्वियाची परिज्ञित्यः

लखनऊ, बुधवार, 27 फरवरी, 1991

फाल्गुन 8, 1912 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार विश्वायी अनुभाग-1

संख्या 447/सत्रह-चि-1—1(क)21-1990 लखनऊ, 27 फरवरी, 1991

> अधिसू बना विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेंद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश ईंट (सम्भरण का विनियमन) विधेयक, 1990 पर दिनांक 27 फरवरी, 1991 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 6 सन् 1991 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिस्चना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश हींट (सम्भरण का विनियमन) आंधनियम, 1990

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 6 सन् 1991).

(जैंसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित तुआ)

लोक हित में, उचित मूल्य पर इंटों का साम्यिक वितरण सुनिश्चित करने की दृष्टि से इंटों के सम्भरण को विनियमित करने ही लिए

#### अधिनियम

भारत गणराज्य के इकतालीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता हैं:--

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश इटि (सम्मरण का विनियमन) अधिनियम, संक्षिप्त नाम, 1990 कहा जायेगा। विस्तार आँग

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

(3) यह 12 मई, 1990 को प्रवृत्त हुआ समका जायगा।

**म**रिमाषाएं

#### 2-इस अधिनियम में,-

- (क) ''इ<sup>च्</sup>ट'' का तात्पर्य ए'से किसी ज्यामितीय आकार के पकार्थ **हुएं** मिट्टी के टुकड़े से हैं जो किसी मट्ठे में पकाया गया हो,
- (स्त) "मट्ठा" का तात्पर्य ईंटों को आग में पकाने के लिए प्रयुक्त किसी संरचना से हैं; और
- (ग) "व्यापारी" का तात्पर्य ए'से किसी व्यक्ति से हैं जो इंट का व्यापार करता हो या विक्री के लिए इंटिंका स्टाक रखता हो और उसके अन्तर्गत उसका प्रतिनिधि या अपिकर्ता भी है।

हीं के मुल्य, या उपःमोग को विनयमित फर्न की शक्ति

- 3—(1) जहां राज्य सरकार की राय हो कि इंटिंग के सम्मरण को बनाये रखने सम्भरण, वितरण या उसमें वृद्धि करने या उनका साम्यिक वितरण करने और उचित मूल्यों पर उनकी उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए एंसा करना आवश्यक हैं, वहां वह, अधिसुचित आर्देश हारा: उनके सम्भरण, वितरण, उपमोग और मृत्य को बिनियमित करने के लिए व्यवस्था कर सकती हैं।
  - (2) उपधारा (1) हारा प्रदत्त शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकृत प्रमाव डाले बिना, उसके अधीन दिये गये किसी आदेश में निम्नलिखित के लिए व्यवस्था हो सकती हैं:--
    - ं (क) लाइसेंसों, अनुहापत्रां द्वारा या अन्यथा ईंटो के संग्रहण, वितरण, परिवहन, अर्जन, सम्भरण, विनिर्माण या उपमोग को विनियमित करने के लिए :
    - (स्व) उस मूल्य को नियंत्रित करने के लिए जिस पर हींटों को खरीटा या वेचा जा सकता है:
    - (म) सावारणत: विकी के लिए रखी गयी इटिंग को, विकी से रोके जाने को प्रतिषिद्ध करने के लिए ;
    - (घ) किसी व्यापारी या भट्ठे के स्वामी से हीटों के सम्बन्ध में एोसे लेखे आर अभिलेख रखने और उनको निरक्षिण के लिए प्रस्तुत करने और एसी सम्बन्धित सुचना देने की अपेक्षा करना जैसी कि आदेश में विनिर्दिष्ट की जाय:
    - (डा) किसी व्यापारी या मट्ठं के स्वामी से स्टाक में रखे गये या उसके द्वारा निर्मित या प्राप्त किये गये ईंटों के सम्पूर्ण या किसी विनिर्दिष्ट भाग को राज्य सरकार को या केन्द्र सरकार को या एौसी सरकार के किसी अधिकारी या अभिकर्ता को या सरकार के स्त्रामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम को या एोसे अन्यं व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को और ऐसी परिस्थितियों में र्जसा कि आटेश में विनिटिष्ट हो, बेचने की अपेक्षा करने के लिए ;
    - (च) किन्हीं आनुषंगिक और अनुपूरक विषयों की व्यवस्था करने से लिये जिसके अन्तर्गत विशेषतः परिसरों और गाडियों में प्रवेश करना और उनकी तुलाशी लेना, इंटों का अभिग्रहण करना, लाइसेन्सो, अनुहापत्रों और अन्य दस्तावेजों को देना या जारी करना और उनके लिए फीस लेना मी हैं।

शास्ति

4-(1) जो कोई धारा 3 के अधीन दिये गये किसी आदेश के उपवन्धों का उल्लंघन करता ही या उल्लंघन करने का प्रयास करता ही या उल्लंघन की लिए दुन्धीरित करता है, वह ऐसी अवधि के लिए जो तीन वर्ष तक हो लकती है कारावास से या जुर्माने से या टोनों से दण्डनीय होगा और यटि आटेश में एंसी व्यवस्था हो तो एंसे उल्लंघन का विचारण करने वाला कोई न्यायालय निटंश दे सकता है कि एंसी कोई सम्पत्ति जिसके सम्बन्ध में न्यायालय का यह समाधान हो जाय कि आदेश का उल्लंघन किया गया है या उसका एेसा माग, जिसे न्यायालय उचित समर्भ राज्य सरकार को समपहृत हो जायगा।

- (2) यदि कोई व्यक्ति जिससे धारा 3 के अधीन दिये गये आदेश हारा कोई क्यन करने या कोई सूचना देने की अपेक्षा की जाय,—
  - (एक) ऐसा कोई कथन करता है या कोई सूचना देता है जिसकी तात्विक विशिष्टियां मिथ्या हो और जो उसकी जानकारी में मिथ्या हो या उसके प्रांस यह विश्वास करने के कारण हो कि वह मिथ्या है या जिसकी सत्यता में उसे विश्वास न हो, या
  - (दो) किसी वही, लेखा, जीमलेख, घोषणा, विवरणी या अन्य दस्तावेज में जिसे रखने या प्रस्तुत करने की किसी आदेश द्वारा उससे अपेक्षा की गयी हो, कोई ऐसा उपयुक्ति कथन करता हैं;

तो वह एंसी अर्थाध के लिए जो तीन वर्ष तक हो सकती हैं कारावास से या जुर्माने से या दोनों से दण्डनीय होगा।

5—(1) यदि इस अधिनियम के अधीन अपराध करने वाला व्यक्ति कोई कम्पनी हैं तो वह कम्पनी और अपराध किये जाने के समय उसके कार्य संचालन के लिए कम्पनी का प्रभारी और उसके प्रति उत्तरदायी प्रत्येक व्यक्ति भी उस अपराध का दोषी समका जायगा और तदनुसार उसके विराद्ध कार्यवाही की जा सकेगी और उसे दिण्डत किया जा सकेगा:

कम्पित्यों द्वारा

परन्त इस उपवारा की किसी बात से कोई एसा व्यक्ति टण्डनीय नहीं होगा यदि वह साबित कर दें कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने उस अपराध को रोकने के लिए समी सम्यक् तत्परता बरती थी।

(2) उपवारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां इस आधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि अपराध उस कम्पनी के किसी सचिव, निर्देशक, प्रवन्धक या अन्य अधिकारी की सहमित या मानानुमित से किया गया है, या उसकी किसी उपेक्षा के कारण हुआ है, तो कम्पनी का एसा सचिव, निर्देशक, प्रवन्धक, या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी सममा जायगा और तदनुसार उसके विकट्ध कार्यवाही की जा सकेगी और उसे दण्ड दिया जा सकेगा।

स्पष्टीकरण: - इस धारा के प्रयोजनों के लिए-

- (क) "कम्पनी" का तात्पर्य किसी निगमित निकाय से हैं और उसके अन्तर्गत कोई फर्म या व्यक्तियों के अन्य संगम मी हैं, और
- (ख) किसी फर्म के सम्बन्ध में ''निटंशक'' का तात्पर्य फर्म के मानीदार में हैं।

6—राज्य संरकार या किसी व्यक्ति के विराद्ध ए'से किसी कार्य के लिए जो इस अधिनियम के या इसके अधीन किसी आदेश के अनुसरण में सट्भावना से किया गया हो, या किये जाने के लिए अभिग्रेत हो, कोई बाट, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जायगी।

सद्भाष**ना सं** की गयी फार्य-वाही का संरक्षणः

**एतर** प्रदेश **प्रध्या**देश **एंड्या** 12 सन् 1990 7—(1) उत्तर प्रदेश ईट (सम्भरण का विनियमन) अध्याटेश, 1990 एतट्डारा निरसित किया जाता है।

निरसन भीर भ्रपवाद

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश के उप-बन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समक्षी जायगी मानों इस अधिनियम के उपबन्धों सभी सारमृत समय पर प्रवृत्त थे।

आज्ञा से,
रनीन्द्र दयाल माधुर,
संयुक्त सचिव एवं सयुक्त विधि परामशीि।

### No. 447(2)/XVII-V-1-1(KA)21-1990

Dated Lucknow, February 27, 1991

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Eent (Sambharan Ka Viniyaman) Adhiniyam, Adhiniyam Sankhya 6 of 1991) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on February 27, 1991.

THE UTTAR PRADESH BRICKS (REGULATION OF SUPPLY) ACT, 1990

> (U. P. ACT No. 6 of 1991) (As passed by the U. P. Legislature)

> > $A_N$

to provide in public interest, for regulation of supply with a view to securing the equitable distribution of bricks at fair price.

It is hereby enacted in the Forty-first Year of the Republic of India as follows :--

Short title extent and commencement.

- (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Bricks (Regulation of Supply) Act, 1990.
  - (2) It extends to the whole of Uttar Pradesh.
- (3) It shall be deemed to have come into froce on May 12, 1990.

Definitions

#### In this Act,--

- (a) 'brick' means any piece of burnt clay having geometrical shape fired in a kiln;
  - (b) 'kiln' means a structure used for firing bricks; and
- (c) 'dealer' means any person who deals in bricks or holds stocks of bricks for sale and includes his representative or

Powers to regubricks

- 3.(1) Where the State Government is of opinion that it is necessary late price, supply, so to do for maintaining or increasing supplies of bricks or for securing consumption of their equitable distribution and availability at fair prices, it may, by notified order, provide for regulating supply, distribution, consumption
  - (2) Without prejudice to the generality of the powers conferred by sub-section (1), an order made thereunder may provide-
    - (a) for regulating by licences, permits or otherwise the storage, distribution, transport, acquisition, supply, manufacture and consumption of bricks;
    - (b) for controlling the price at which bricks may be bought or sold :
    - (c) for prohibiting the withholding ordinarily kept for sale; sale,
    - (d) for requiring a dealer or kiln owner to maintain and produce for inspection such accounts and records regarding bricks and to furnish such information relating thereto. may be specified in the order;

- (e) for requiring a dealer or kiln owner to sell the whole or a specified part of bricks held in stock or produced or received by him to the State Government or the Central Government or to an officer or agent of such Government or to a Corporation owned or controlled by such Government or to such other person or class of persons and in such circumstances as may be specified in the order;
- (f) for any incidental and supplementary matters including in particular the entering and search of premises and vehicles, seizure of bricks, the grant or issue of licences, permits and other documents and the charging of fees therefor.
- 4. (1) Whoever contravenes or attempts to contravene, or abets Panalty the contravention of the provisions of any order made under section 3 shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to three years or with fine or with both, and if the order so provides, any court trying such contravention may direct that any property, in respect of which the court is satisfied that the order has been contravened, or such part of it as the court may deem fit shall be forfeited to the State Government.
- (2) Whoever being required by an order made under section 3 to make any statement or furnish any information—
  - (i) makes any statement or furnishes any information which is false in any material particular and which he knows or has reason to believe to be false, or does not believe to be true, or
  - (ii) makes any such statement as aforesaid in any book, account, record, declaration, return or other document which he is required by any such order to maintain or furnish;

shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to three years or with fine, or with both.

5. (1) If the person committing an offence under this Act is a company, the company as well as every person in charge of and responsible to the company for the conduct of its business at the time of the commission of the offence shall be deemed to be guilty of the offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly:

Offences by com-

Provided that nothing contained in this sub-section shall render any such person liable to any punishment if he proves that the offence was committed without his knowledge or that he exercised all due diligence to prevent the commission of such offence.

(2) Nothwithstanding anything contained in sub-section (1), where any offence under this Act has been committed by a company and it is proved that the offence has been committed with the consent or connivance of, or that the commission of the offence is attributable to any neglect on the part of, any secretary, director, manager or other officer of the company, such secretary, director, manager or other officer shall also be deemed to be guilty of that offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly.

Explanation-For the purposes of this section-

- (a) "company" means any body corporate and includes a firm or other association of individuals, and
- (b) "director" in relation to a firm, means a partner in the firm.

Protection of action taken in good faith

6. No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against the State Government or any person for anything which is in good faith done or intended to be done, in pursuance of this Act or any order made thereunder.

Repeal and saving

7. (1) The Uttar Pradesh Bricks (Regulation of Supply) Ordinance, 1990, is hereby repealed.

U.P. On Dance 12 of the

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the Ordinance referred to in sub-section (1), shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act as if the provisions of this Act were in frace at all material times

By order,
R. D. MATHUR,
Joint Secretary and Joint
Legal Remembrancer.